

उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी

अवधि : वर्ष 2025–2026 से 2027–2028 तक (प्रथम चरण) तथा 2028–29 से
2030–2031 तक (द्वितीय चरण)



उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन ।

विषय—सूची

क्र० सं०	अध्याय	विषय	पृष्ठ—संख्या
1.	1	प्रस्तावना	3-4
2.	2	उद्देश्य	5
3.	3	विशेषताएं	6-7
4.	4	प्रोत्साहन	8-10
5.	5	उत्पादन एवं उत्पादकता	11-15
6.	6	विपणन	16-17
7.	7	मूल्य—संवर्धन	18-19
8.	8	पारिस्थितिकी—तंत्र	20-23
9.	9	क्षमता—विकास	24-25
10.	10	फसल—बीमा	26
11.	11	फसल—सुरक्षा	27
12.	12	समिति	28-30
13.	13	आऊटकम	31
14.	14	प्रकीर्ण	32
15.	परिशिष्ट—I	प्रथम चरण के अंतर्गत चयनित विकास खण्ड	33
16.	परिशिष्ट— II	भौतिक लक्ष्य	34
17.	परिशिष्ट— III	विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता का विवरण	35-36
18.	परिशिष्ट—IV	प्रपत्र	37
19.	परिशिष्ट—V	पी०एम०यु हेतु अनन्तिम बजट प्रस्ताव	38

अध्याय—1

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा मण्डुवा, सांवा आदि फसलों को पौष्टिक अनाज श्रेणी में अधिसूचित किया गया है तथा भारत सरकार के प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2023–24 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया।

पोषण संबंधी असुरक्षा विश्व की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है एवं अधिकतर जनसंख्या अनाज आधारित आहार पर निर्भर है, जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी पूर्ति मिलेट (मंडुवा/झंगोरा/रामदाना/कौणी/चीना) फसलों से की जा सकती है, क्योंकि मिलेट (मंडुवा/झंगोरा/रामदाना/कौणी/चीना) पौष्टिक रूप से धनी है, इनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, खनिज और विटामिन होते हैं। मिलेट फसलें जलवायु के अनुकूल, कठोर और शुष्क भूमि वाली फसलें हैं, जिन्हें पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आम तौर पर, ये असिंचित क्षेत्रों में तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ये फसलें टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख मिलेट फसलों में मण्डुवा/कांगनी/सांवा/कुटकी/कोदों आदि सम्मिलित हैं। ये सभी मिलेट पोषक तत्वों से भरपूर हैं तथा 2 से 4 महीनों में परिपक्व हो जाती हैं, जो व्यापक अनुकूलन, शिपिंग कल्टीवेशन तथा प्रकृति की अप्रत्याशित अनियमितताओं के साथ तालमेल बिठाने योग्य हैं।

वर्तमान में, उत्तराखण्ड में मिलेट्स के तहत क्षेत्रफल लगभग 1,10,000 हेक्टेयर और उत्पादकता 1.5 मिट्रिक टन/हेक्टेयर है। अधिक उपज देने वाली मिलेट्स किस्मों और बेहतर कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करके, उत्तराखंड में उत्पादकता और कृषकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

यह, कार्यक्रम राज्य में मंडुवा/झंगोरा (सांवा)/रामदाना/कौणी/चीना के उत्पादन में दृष्टव्य वृद्धि और मिलेट्स मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कृषकों की आय में दृष्टव्य वृद्धि का कारक होगा, जिसके लिए स्टेट मिलेट पॉलिसी में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित मिलेट्स मिशन-2023 को सम्मिलित कर और आकर्षक रूप में जोड़कर प्रारूपित करना है।

इस कार्यक्रम द्वारा एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो मिलेट्स उत्पादक कृषकों को लाभ पहुंचा सके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड के मिलेट्स ब्रांड को स्थापित कर सके।



इसे राज्य में मिलेड्स यथा मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना के तहत घटते क्षेत्रफल को रोकने और कृषकों को फसल के लिए व्यावसायिक संभावनाओं के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया जा रहा है।

अध्याय-2

उद्देश्य

1. मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना मिलेट्स की खेती के तहत क्षेत्रफल को बढ़ावा देना।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य फसलों के स्थान पर मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना के फसलोत्पादन को प्रोत्साहित करना।
3. मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना मिलेट्स की उत्पादकता वृद्धि करना।
4. मिलेट्स प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना करना, जिससे सफाई, ग्रेडिंग, डीहलिंग आदि तकनीक से लेकर पैकेजिंग, लेबलिंग के कार्य में आत्मनिर्भरता कायम की जा सके।
5. मिलेट्स फसलों में कृषकों को फसलोत्पादन से प्रसंस्करण एवं विपणन तक सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण करना।
6. मिलेट्स खेती को प्रोत्साहित करना तथा विपणन सुविधा विकसित करना।
7. आजीविका के नए स्रोत उपलब्ध कराकर पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों से पलायन को कम करना।
8. उत्तराखंड को उच्च गुणवत्ता वाले मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना मिलेट्स के अग्रणी उत्पादक के रूप में बढ़ावा देना।

अध्याय—3

विशेषताएं

3.1. स्टेट मिलेट मिशन, 2023 की तुलना में इसकी निम्नलिखित प्रमुख अतिरिक्तताएं हैं:—

क्र०सं०	प्रमुख विशेषताएं	मिलेट मिशन 2023	अतिरिक्तताएं
1	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण	केवल मिलेट्स उपज की खरीद पर	बुआई पर प्रोत्साहन से क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करना और सहकारी समितियों के माध्यम से सुविधा प्रदान करना
2	पावर वीडर एवं सीड ड्रिल कृषि यंत्रों का वितरण	ऐसा कोई प्राविधान नहीं	मिलेट्स की खेती पंक्ति बुआई विधि के माध्यम से उत्पादकता स्तर बढ़ाना।
3	प्रत्येक ब्लॉक पर प्राथमिक प्रसंस्करण सेट अप	सहकारी समितियों को थ्रेसर/प्रसंस्करण उपकरण प्रदान कराना	गुणवत्ता और पैमाने सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण सेट अप की आवश्यकता होती है। अनाज को खाद्य रूप में परिवर्तित करने और उद्योग को आपूर्ति करने के लिए ग्रेडर, डेस्टोनर और डीहलर मशीनों की पूर्ति करना।
4	फसल बीमा	कोई प्राविधान नहीं	मण्डुआ/झंगोरा फसल को फसल-बीमा के तहत आच्छादित करना।
5	श्री अन्न पार्क	कोई प्राविधान नहीं	निजी निवेश को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.2. मिलेट्स फसलों के अंतर्गत क्षेत्र-विस्तार एवं इसका क्रियान्वयन नियोजित ढंग से किया जायेगा:—

क्र०सं०	विषय	लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	चयनित फसलें	मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना	समस्त क्रियाकलाप सभी फसलों पर लागू।
2	क्षेत्र	68 विकासखंडों में दो चरणों में लागू चरण-1 : 24 विकासखंड (30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल) चरण-2 : 44 विकासखंड (40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल)	विकास खंडों का विवरण इस पॉलिसी के परिशिष्ट-ग में उल्लेखित है। समय-समय पर पॉलिसी की समीक्षा से प्राप्त प्रतिक्रिया/प्रतिपुष्टि के पश्चात् पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। अगर भविष्य में चयनित जिलों के अलावा किसी अन्य जिले में मिलेट्स की खेती होने लगती है, तो उन्हें भी इस पॉलिसी में सम्मिलित किया जायेगा।
3	अवधि	चरण 1— वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक चरण 2— वर्ष 2028-29 से 2030-31 तक	पॉलिसी जारी होने के उपरांत कृषकों का पंजीकरण तथा प्रचार-प्रसार आदि कार्य किये जायेंगे। चरण-1 में लाभान्वित कृषकों को उक्त पॉलिसी के चरण-2 के अन्तर्गत लाभ नहीं दिया जायेगा। चरण-1 में लाभान्वित कृषक, अन्य विभागीय योजनाओं से लाभ ले सकते हैं।

3.3. मिलेट्स खेती के प्रति कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसके अंतर्गत निम्नवत् घटक हैं:-

3.3.1. प्रोत्साहन :

3.3.1.1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।

3.3.1.2. समूह के माध्यम से मिलेट्स खेती को प्रोत्साहित करना।

3.3.1.3. मिलेट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरुष्कृत करना।

3.3.2. उत्पादन एवं उत्पादकता :

3.3.2.1. बीज उत्पादन कार्यक्रम।

3.3.2.2. निवेश समर्थन।

3.3.2.3. कृषि यंत्रीकरण।

3.3.2.4. सिंचन क्षमता में वृद्धि।

3.3.3. विपणन :

3.3.3.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतर्ग्रहण।

3.3.3.2. बुखारी (Storage Bin)।

3.3.3.3. एफ0पी0ओ0/फेडरेशन के माध्यम से विपणन सुनिश्चित कराना।

3.3.3.4. हाऊस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत ब्राण्डिंग।

3.3.3.5. यात्रा रूट्स पर प्रसाद के साथ-साथ मिलेट उत्पादों की बिक्री।

3.3.4. मूल्य-संवर्धन :

3.3.4.1. प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

3.3.5. पारिस्थितिकी तंत्र **(Ecosystem Development)** :

3.3.5.1. ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार।

3.3.5.2. बुनियादी ढांचे का विकास।

3.3.5.3. अभिसरण रणनीतियां।

3.3.5.4. श्री अन्न पार्क।

3.3.5.5. मिलेट्स सम्बन्धी बेकरी उद्योग को प्रोत्साहित करना।

3.3.6. क्षमता-विकास :

3.3.6.1. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)।

3.3.6.2. सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का उपयोग।

3.3.6.3. पी0एम0यू0 की स्थापना।

3.3.6.4. मिलेट्स फसलों पर प्रसार शिक्षा (एक्सटेंशन)

3.3.7. फसल-बीमा :

3.3.8. फसल-सुरक्षा :

अध्याय-4

प्रोत्साहन

कृषकों को मिलेट्स फसलों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये उनको बुवाई पर प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है। उक्त सुविधाएं कृषकों को Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से दी जायेगी।

4.1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण :

पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेट्स फसलों से सम्बन्धित बुवाई सुनिश्चित हो सके, इस हेतु मिलेट्स फसलों की बुवाई करने पर कृषकों को प्रोत्साहन किया जाना है, जिससे कृषक खेत की तैयारी, कटाई आदि एवं अन्य निवेश हेतु कर सकेंगे। यह प्रोत्साहन, कृषकों को केवल बुवाई प्रक्रिया के लिए नहीं, अपितु मिलेट्स फसलों के उत्पादन प्रक्रिया यथा: कृषकों द्वारा स्वयं खेत की जुताई एवं बुवाई तथा कृषि कार्य में उपयोग में लाये जा रहे कृषि यंत्रों को किराये में उपयोग करने हेतु आदि में प्रयोग किया जायेगा, चूंकि उक्त कार्य हेतु कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वह मिलेट्स खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और मिलेट्स फसलों की अधिक से अधिक खेती होगी।

पात्रता :

चयनित विकासखंडों में मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना आदि मिलेट्स के बुवाई करने वाले सभी कृषक एवं स्वयं सहायता समूह/गैर सरकारी संस्था/एफ0पी0ओ0 आदि पात्र होंगे। कृषकों के खेतों को पट्टे पर लेकर या आपसी लिखित सहमति से कोई मिलेट्स की खेती करता है, तो वह भी लाभ का पात्र होगा।

प्रोत्साहन :

प्रति हेक्टेयर निम्नानुसार प्रोत्साहन धनराशि कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी :-

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल योग
पंक्ति में बुआई विधि हेतु प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर)	रु0 4000	रु0 3000	रु0 1500	रु0 8500
अन्य पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर)	रु0 2000	रु0 1500	रु0 750	रु0 4250

प्रोत्साहन धनराशि का आंगणन जनपदों द्वारा प्राप्त फसल वित्तमान के आधार पर औसतन रु 39,000.00/हेक्टेयर की लागत के अनुसार किया गया है। फसल वित्तमान में मण्डुवा/झंगोरा (सॉवा) फसल में जमीन की तैयारी से फसल कटाई तक की प्रक्रिया को शामिल किया गया है, जिस आधार पर प्रति वर्ष अनुमानित प्रोत्साहन धनराशि/हेक्टेयर की गणना की गयी है, जिससे कृषकों को फसल उत्पादन में उनके द्वारा किये गये व्यय पर प्रोत्साहन मिल सके। राज सहायता, एक (01) हे0 क्षेत्रफल तक व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को सारिणी के अनुसार तथा 01 हे0 से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को सारिणी में वर्णित धनराशि का 50 प्रतिशत देय होगा।

➤ क्रियान्वयन प्रक्रिया :

1. कृषक, प्रोत्साहन के लिए, परिशिष्ट-IV पर आवेदन कर सकेंगे:-

अ) कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से।

ब) कृषक सीधे अथवा समूह के रूप में पंजीकरण करा सकेंगे।

2. चरण वैधता तक आवेदन, हर साल 01 जनवरी से 15 अप्रैल तक होगी। समूह चयनित कृषकों की सूचना निम्नवत् प्रारूप पर तैयार करेंगे:-

क्र०सं०	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	मो० न०	कृषि क्षेत्रफल (एकड़ में)	बैंक का नाम	बैंक का खाता संख्या/आई०एफ०एस०सी० कोड	बुवाई की सम्भावित तिथि

3. मिलेट्स फसलों की बुवाई/सीधी पंक्ति में बुआई विधि के माध्यम से मिलेट्स की सफल खेती को धरातल स्तर पर सत्यापन के लिए कृषि/ग्राम्य विकास/पंचायत राज/उद्यान विभाग/सहकारिता विभाग के कार्मिकों का न्याय पंचायतवार एक संयुक्त निरीक्षण दल का गठन, निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा:-

- मुख्य विकास अधिकारी : अध्यक्ष।
- मुख्य कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव।
- जिला विकास अधिकारी : सदस्य।
- सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां : सदस्य।

नोट- संयुक्त निरीक्षण दल में 01 अथवा 02 प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4. संयुक्त निरीक्षण दल, प्रथम निरीक्षण बीज जमाव के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर लेगा कि कृषक द्वारा बुवाई सीधी पंक्ति में बुवाई अथवा किसी अन्य माध्यम से खेती की गई है। निरीक्षण रिपोर्ट में जमाव प्रतिशत, बुवाई क्षेत्रफल तथा खेत की स्थिति का उल्लेख भी किया जायेगा।
5. संयुक्त निरीक्षण दल, मिलेट्स खेती के तहत कृषक की भूमि के अनुसार आनुपातिक मूल्य पर बुआई की विधि और खेती के सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि जारी करने की सिफारिश मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगा। यदि संयुक्त निरीक्षण दल संतुष्ट नहीं होगा, तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. कृषक को प्रोत्साहन धनराशि अनुमोदन के 15 दिनों अथवा बजट उपलब्धता के अनुसार उसके बैंक खाते में Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी।

4.2. समूह के माध्यम से मिलेट्स खेती को प्रोत्साहन :

4.2.1 अंतःग्रहण हेतु प्रोत्साहन :

शासनादेश संख्या- 341/XIII-2/2023.15(2)/2022, दिनांक: 27 अप्रैल, 2023 के अनुसार, पंजीकृत कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/सहकारिता समूह/एन०आर०एल०एम समूह/कृषक उत्पादक संगठनों/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के क्लस्टरों के कृषकों को मिलेट्स फसलों के अन्तःग्रहण सुनिश्चित करने के लिए रु० 150.00/क्विंटल का प्रोत्साहन, राज्य मिलेट मिशन से दिया जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत, यह धनराशि रु० 300.00/क्विंटल, 15 क्विंटल तक तथा रु० 150.00/क्विंटल, 15 क्विंटल से अधिक के अंतःग्रहण हेतु होगी। अंतःग्रहण पर प्रोत्साहन धनराशि में वृद्धि होने से समूह को कृषकों से उत्पाद अधिक से अधिक मात्रा में विभाग को अन्तःग्रहित कराने में सहायता प्राप्त होगी।

4.3 मिलेट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरुष्कृत करना :

मिलेट्स फसलों पर कार्य किये जाने हेतु चयनित विकास खण्डों में मिलेट्स पॉलिसी अन्तर्गत कार्यरत कृषकों/समूहों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे कृषकों/समूहों में से 02 कृषक/समूह का चयन किया जायेगा, जिसे 10,000.00 रुपये प्रति कृषक/समूह की पुरस्कार धनराशि वितरित की जायेगी, जिससे कृषकों/समूहों को मिलेट्स उत्पादन में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। कृषक/समूह का चयन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत निर्धारित नियमावली/गाईडलाईन्स के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—5

उत्पादन एवं उत्पादकता

प्रदेश में मिलेट्स फसलों की उत्पादकता 15 कु0 प्रति हे0 तक है, जिसे की नवीनतम प्रजातियों के उपयोग, शस्य क्रियाओं का सही प्रयोग तथा कृषि यंत्रीकरण की सहायता से 25 से 30 कु0 प्रति हे0 तक की वृद्धि प्राप्त होने की सम्भावना है।

5.1 बीज उत्पादन कार्यक्रम :

मिलेट्स फसलों की प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आगामी वर्षों का सीड्स रोलिंग प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम इत्यादि को बीज उत्पादन के लक्ष्य दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा आर0के0वी0वाई एवं रीप योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्र पर क्लस्टर चयनित करते हुए मिलेट्स फसलों का “बीज उत्पादन कार्यक्रम” संचालित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित जनक से आधारीय बीजों का उपयोग किया जायेगा। साथ ही केन्द्रपोषित बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों को बीज उपलब्ध कराते हुए, उन्हें बीज उत्पादन का प्रशिक्षण तथा बीजों के भण्डारण हेतु बुखारी भी प्रदान कराई जायेगी। इस कार्यक्रम से कृषकों में बीज उपलब्धता को बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही वी0पी0के0ए0एस द्वारा विकसित सफेद मण्डुवा वी0एल 382 प्रजाति का बीज उत्पादन अल्मोडा जनपद के REAP समूह के प्रक्षेत्र पर वी0पी0के0ए0एस संस्थान के निरीक्षण में खरीफ 2025 से प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

5.2 निवेश समर्थन :

मिलेट्स उगाने वाले कृषकों को अनुदानित मूल्यों पर कृषि निवेश प्रदान करके मिलेट्स की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना है। इसका वितरण कार्यक्रम निम्नवत् है:—

घटक	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
मिलेट्स बीज की अधिक उपज देने वाली किस्में	✓	✓	✓
जैव उर्वरक	✓	✓	✓
बायो पेस्टिसाइड	✓	✓	✓
जिंक	✓	✓	✓
सूक्ष्म पोषक तत्व	✓	✓	✓

मिलेट्स बीज की अधिक उपज देने वाली किस्में, जैव उर्वरक, बायोपेस्टिसाइड, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि घटकों अन्तर्गत वितरण प्रथम चरण के तीनों वर्षों हेतु किया जायेगा। उपरोक्त अनुदान ऐसे कृषकों को भी देय है, जो अपने खेत में परम्परागत बीजों का उपयोग करते हैं, उनको अनुदान, बीज को छोड़कर, अन्य सभी मदों में अनुमन्य है।

5.2.1. पात्रता :

1. चयनित विकास खंडों में न्यूनतम 03 नाली भूमि पर मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना आदि मिलेट्स की खेती करने में रुचि रखने वाले सभी कृषक एवं वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के क्लस्टरों के अन्तर्गत सभी कृषक, इसके लिए पात्र होंगे।
2. इस योजना के तहत लाभ 50 नाली (01 हेक्टेयर) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को 80 प्रतिशत अनुदान तथा 50 नाली (01 हे0) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को 50 प्रतिशत अनुदान देय होंगे।

5.2.2. लागत अनुमान :

आवश्यक निवेश समर्थन हेतु प्रति हेक्टेयर धनराशि (रु0 में) का मदवार अनुमान इस प्रकार है :-

घटक	मूल्य (रूपये में)
बीज	700
जैव-उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व	2,000
कुल मूल्य	2,700

5.2.3. प्रोत्साहन :

कृषि निवेश घटक अन्तर्गत अनुदान (रूपये में) कृषकों को विभाग द्वारा प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने पर निम्नवत् प्रकार से देय होगा:-

घटक	अनुदान (%)	अनुदान (रूपये में)
बीज	80%	560
जैव-उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व	80%	1,600
कुल मूल्य		2,160

यदि कृषक स्वयं का बीज उपयोग करना चाहता है, तो उसको उपरोक्तानुसार केवल मिलेट्स खेती के लिए इनपुट (जैव-उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व), 50 नाली (01 हे0) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को 80 प्रतिशत तथा 50 नाली (01 हे0) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जायेगा।

- ❖ इस पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान प्रथम चरण में 24 विकास खण्डों के समस्त क्षेत्रफल हेतु मिलेट्स बीज 80/50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध रहेंगे।
- ❖ राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के 09 जनपदों में संचालित केन्द्रपोषित योजना एनएफएसएम-पौष्टिक अनाज योजना में बीज पर अनुमन्य अनुदान 50%, समस्त कार्य क्षेत्र में इस नीति के निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा तथा अतिरिक्त 30% इस नीति के अंतर्गत दिया जायेगा।

5.2.4. क्रियान्वयन प्रक्रिया :

1. कृषि निवेशों को चयनित विकास खंडों पर न्याय पंचायतों में स्थित कृषि निवेश केन्द्रों अथवा Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
2. चयनित विकास खंडों में मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना आदि मिलेट्स की खेती में रुचि रखने वाले पात्र कृषक, प्रोत्साहन के लिए निम्नानुसार पंजीकरण कर सकते हैं—
अ. कोई भी पात्र कृषक, सीधे ऑनलाईन पंजीकरण कर सकता है और निवेश घटकों को Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से क्रय कर सकता है।
ब. जो कृषक समूहों के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहेंगे, वह स्वयं सहायता समूहों/एन0आर0एल0एम समूह/कृषक उत्पादक संगठनों/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण करा सकते हैं और निवेश घटकों को Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से क्रय कर सकता है।
3. कृषक को मिलेट्स बीज की राशि का 20/50 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा (मिलेट्स की खेती के तहत क्षेत्रफल के अनुसार आनुपातिक)। इन मिलेट्स बीजों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा।
4. मिलेट्स की खेती के लिए निवेश (जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व), पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर कुल 80/50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे। कृषकों को जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व निवेशों के लिए भी शेष 20/50 प्रतिशत धनराशि स्वयं वहन करना होगा।

5.3. कृषि यंत्रीकरण :

मिलेट्स की खेती करने वाले कृषकों को अनुदानित मूल्यों पर सीड-ड्रिल और पावर-वीडर कृषि यंत्र प्रदान किया जायेगा, ताकि मिलेट्स के लिए सीधी बुआई जैसी अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त कृषकों तक कृषि यंत्रों की पहुंच स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी। कृषक इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं।

5.3.1. लक्ष्य :

चयनित विकास खंडों में प्रति क्लस्टर पावर वीडर और सीड-ड्रिल प्रदान करने का लक्ष्य इस प्रकार होगा:-

	फेज 1	फेज 2
अपेक्षित कृषि यंत्र संयोजन (संख्या में)	150	200

5.3.2. पात्रता :

चयनित विकास खंडों में मिलेट्स की खेती में शामिल एसएचजी/कृषक समूह/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती के कृषक समूह पात्र होंगे। इस हेतु केन्द्रपोषित कृषि यंत्रीकरण योजना (SMAM) के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

नोट – एसएचजी/कृषक समूह/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती के कृषक समूहों को इन कृषि यंत्रों को किराए पर लेने वाले कृषकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा।

5.3.3. लागत अनुमान :

यंत्र वितरण हेतु अनुदान की व्यवस्था सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकनाईजेशन/मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना/SPAR योजना से की जायेगी। ऐसे एक कृषि यंत्रों के इकाई के संयोजन का अनुमानित लागत निम्नवत् है-

घटक	मूल्य (रूपये में)
पावर वीडर	75,000
सीड ड्रिल	15,000
कुल मूल्य	90,000

5.3.4. प्रोत्साहन :

कृषि यंत्रों के संयोजन के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन/अनुदान, 50 नाली (01 हे0) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को कुल लागत का 80 प्रतिशत अथवा ₹0 72,000.00, जो भी कम हो, तथा 50 नाली (01 हे0) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा ₹0 45000.00, जो भी कम हो, देय होगा।

5.3.5. क्रियान्वयन-प्रक्रिया :

1. एस0एम0ए0एम0 योजना से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/कृषक समूह/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती योजना अन्तर्गत क्लस्टरों के कृषक समूह इस पॉलिसी के तहत लाभान्वित किये जायेंगे। इच्छुक समूह को केन्द्रपोषित कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत प्राथमिकता से ऑनलाईन माध्यम से कृषि यंत्रों का वितरण किया जायेगा।
2. आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।
3. आवेदन स्वीकृति उपरान्त आवेदक इच्छानुसार किसी भी पंजीकृत फर्म से Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI के माध्यम से यंत्र क्रय कर सकता है।
4. क्रय किये गये कृषि यंत्रों की भौतिक उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया जाएगा। कृषि यंत्रों का सत्यापन सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकनाईजेशन के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निरीक्षण दल की संरचना इस प्रकार है:-

- ❖ एसएचजी/कृषक समूह के प्रतिनिधि।
- ❖ सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1/वर्ग-2/वर्ग-3।
- ❖ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी।

5. यह निरीक्षण दल उल्लिखित कृषि यंत्रों के क्रय और कार्य स्थितियों को सत्यापित करने के लिए यंत्र क्रय के 15 दिन के भीतर निरीक्षण करेगा।
6. निरीक्षण दल, आख्या मुख्य कृषि अधिकारी को देगा, जो तदनुसार यथोचित कार्यवाही करेगा।

5.4. अन्य योजनान्तर्गत देय लाभ :

सीड-ड्रिल और पावर-वीडर के अलावा, कृषक अन्य कृषि यंत्रों पर केंद्रीय वित्त पोषित एस0एम0ए0एम0 योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) के गाइडलाईन/दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेट्स थ्रेशर/

मल्टीक्रॉप थ्रेसर (मिलेट्स के लिए मड़ाई की सुविधा हेतु) के लिए अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषक व्यक्तिगत ऋय किये गये कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री राज्य विकास योजना एवं जल, पंप, पॉलीहाउस और स्प्रिंकलर योजना के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर अतिरिक्त 30 प्रतिशत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

5.5. सिंचन क्षमता में वृद्धि—एच0डी0पी0ई0 पाईप वितरण :

सिंचाई की आवश्यकता तथा मांग—अनुसार कृषकों को एच0डी0पी0ई0 पाईप चयनित विकास खंडों में मिलेट खेती कर रहे पंजीकृत कृषकों को केन्द्रपोषित प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम निर्धारित मूल्य, जो भी कम हो, देय होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों अनुसार मिलेट्स कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर एच0डी0पी0ई0 पाईप सूचीबद्ध फर्मों के माध्यम से Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI के माध्यम से किया जायेगा।

अध्याय—6

विपणन

कृषक मिलेट्स फसलों की खेती से तभी जुड़ा रह सकता है, जब उसके पास इन फसलों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

6.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतःग्रहण :

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स फसलों का अंतर्ग्रहण सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मंडुवा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है, जिस पर मंडुवा अंतःग्रहण किया जायेगा। अन्य मिलेट्स फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जायेगा। घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार मिलेट्स फसलों का अंतर्ग्रहण जनपदों से किया जायेगा। इस हेतु मिलेट्स उत्पादक कृषक, सीधे सहकारिता विभाग के केन्द्र पर पंजीकरण करा सकेंगे एवं जो कृषक समूह के माध्यम से मिलेट्स फसलों का अंतःग्रहण कराना चाहेंगे, वह समूह के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित क्रय केन्द्र पर सुनिश्चित करेंगे। कृषक तथा समूह द्वारा अंतःग्रहण हेतु एकत्रित मिलेट्स फसलों को सहकारिता विभाग के क्रय केन्द्र पर लाने हेतु ढुलान के लिए अधिकतम रु0 75.00 प्रति कु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी न्यूनतम हो, उसकी प्रतिपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी।

6.1.1. अन्तःग्रहित की गई मिलेट्स फसल का विपणन निम्नवत् माध्यम से किया जाना है:—

क. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत :

भारत सरकार से अनुमन्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 13.50 लाख राशन कार्ड धारकों, को प्रत्येक माह 01.00 किलोग्राम मण्डुवा प्रति माह दिया जायेगा। इस हेतु कुल 16,200 मि0टन मण्डुवा की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति करने के लिए मिलेट मिशन 2023 अन्तर्गत मण्डुवा फसल के अन्तःग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत अंतःग्रहण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। इस हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा धनराशि की व्यवस्था इत्यादि हेतु यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ख. मिड डे मिल अंतर्गत :

राज्य में कुल प्राइमरी विद्यार्थियों की संख्या 4,08,977 एवं अपर प्राइमरी विद्यार्थियों की संख्या—2,59,617 है। मिड डे मिल अन्तर्गत सप्ताह में एक दिन झंगोरा (सांवा) 20 ग्राम प्रति विद्यार्थी के अनुसार दिया जाएगा। इस प्रकार कुल झंगोरा (सांवा) की आवश्यकता 535 मि0टन (40 सप्ताह तक) है। इस हेतु अंतःग्रहण सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जायेगा एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

ग. आंगनबाड़ी अंतर्गत :

गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें एवं 0—6 साल तक से बच्चों को पोषण देने हेतु पोषक आहार वितरण किया जाता है एवं जिसमें मिलेट्स अनाजों को जोड़ा जायेगा। वर्तमान में गर्भवती महिलायें—94444 तथा धात्री महिलायें—91773, जिनका योग कुल 1,86,217 है। एक किलोग्राम प्रतिमाह की दर से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के गाइडलाइन्स द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार राशन वितरण किया जाना है, जिसके अनुसार, मिलेट्स की कुल आवश्यकता—931 मि0टन है। मिलेट मिशन अन्तर्गत इस आवश्यकता की पूर्ति अंतःग्रहण किये जा रहे मण्डुवा फसल से की जायेगी।

घ. उत्तराखण्ड मिलेट्स को ब्राण्ड के रूप में विकसित कर, सहकारी समितियों/पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समीति) एवं उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन परिषद् के माध्यम से विपणन किया जायेगा।

ड. शासनादेश संख्या-276/XIII-2/2023-15(12)/2022 (E.No 378883), दिनांक: 14 मार्च, 2023 से राज्य मिलेट मिशन का संचालन वर्ष 2023 से 2027 तक किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को इस नीति के तहत सम्मिलित करते हुए, मिलेट्स फसलों के उत्पादन हेतु कार्य किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मण्डुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स मिशन अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के कृषकों से मण्डुवा, सहकारी समीतियों के माध्यम से क्रय किया जा रहा है, जिससे कृषकों को मिलेट्स फसलों का उचित मूल्य मिल सके। अन्य मिलेट्स फसलें यथा: झंगोरा/रामदाना/कौणी/चीना, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है, का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जायेगा, जिससे की मंडुवे के साथ अन्य मिलेट्स अनाजों का भी अंतर्ग्रहण किया जा सके। राज्य स्टेट मिलेट मिशन अन्तर्गत प्रस्तावित 16,500 मि0टन मण्डुवा अंतःग्रहण करने का लक्ष्य मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत होने वाले मण्डुवा उत्पादन से प्राप्त किया जा सकेगा।

6.2. बुखारी वितरण :

मिलेट्स उत्पाद के सुरक्षित भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार बुखारी वितरित की जायेगी, जिससे कृषक अपने उत्पाद को क्षति से बचा सकें एवं विक्रय हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पाद को संरक्षित रख सकें। केन्द्र पोषित योजना, बीज ग्राम योजना के मानकों अनुसार मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 200.00, जो भी कम हो, अनुदान पर बुखारी दिया जा रहा है। इस नीति के अंतर्गत बुखारी वितरण पर रु0 300.00 अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। प्रथम चरण में 3,000 (क्षमता 01 अथवा 02 कु0 तक) बुखारी का वितरण किया जायेगा एवं द्वितीय चरण में भी 3,000, बुखारियों (क्षमता 01 अथवा 02 कु0 तक) का वितरण किया जायेगा।

6.3. अन्य क्रियाकलाप :

6.3.1. एफ0पी0ओ0/फेडरेशन के माध्यम से विपणन सुनिश्चित कराना :

भारत सरकार द्वारा राज्य में 300 एफ0पी0ओ0 निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त 300 एफ0पी0ओ0 में से मिलेट्स उत्पादन से सम्बंधित एफ0पी0ओ0 को इसके अन्तर्गत जोड़ा जायेगा। मिलेट्स उत्पादन के पश्चात उक्त एफ0पी0ओ0 को विपणन सम्बंधी कार्यों में जोड़ा जायेगा, जिससे कि मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा एवं साथ-साथ एफ0पी0ओ0/फेडरेशन के आय के साधनों में वृद्धि होगी।

6.3.2. हाऊस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत ब्राण्डिंग :

मिलेट्स उत्पादों की ब्रांडिंग "हाऊस ऑफ हिमालयाज" के अन्तर्गत की जायेगी। इससे राज्य के मिलेट्स उत्पादों को बाजार में अपनी एक विशिष्ट पहचान मिलेगी।

6.3.3. यात्रा मार्ग पर प्रसाद के साथ-साथ मिलेट्स उत्पादों का विपणन :

राज्य में यात्रा मार्ग पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ-साथ मिलेट्स एवं मिलेट्स से सम्बन्धित उत्पादों का विक्रय किया जायेगा। मण्डुवा बिस्किट, चौलाई लड्डु, मण्डुवा नमकीन, मण्डुवा आटा, झंगोरा एवं चौलाई का आटा आदि जैसे उत्पादों की बिक्री की जायेगी।

6.3.4. एन0जी0ओ0/सिविल सोसाइटीस/अन्य स्वयं सेवी संस्थान :

यदि कोई एन0जी0ओ0/सिविल सोसाइटीस/अन्य स्वयं सेवी संस्थान मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने तथा मूल्य संवर्धन हेतु स्वैच्छिक रूप से सहयोग प्रदान कराना चाहेंगे, तो उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय-7

मूल्य संवर्धन

मिलेट्स उत्पादों को आम जनमानस के मध्य लोकप्रिय किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि इनके मूल्य संवर्धन पर कार्य किया जाये।

7.1. प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना :

इसके अंतर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई पर अनुदान प्रदान करके मिलेट्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जो कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) या कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी योजना अन्तर्गत क्लस्टरों के कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन, मिलेट्स कृषकों के लिए उच्च मूल्य प्राप्ति और अतिरिक्त मूल्य संवर्धन गतिविधियों को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा।

7.1.1. पात्रता :

चयनित विकास खंडों में मिलेट्स की खेती/एकत्रीकरण/प्रसंस्करण में शामिल एफपीओ और कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह एवं वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी खेती योजना के अन्तर्गत मिलेट्स खेती करने वाले सभी कृषक इसके तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।

7.1.2. लागत अनुमान :

प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई का अनुमानित लागत निम्नवत् है—

क्र०सं०	घटक	मूल्य (रूपये में)
1	पल्वराईज़र (आटा चक्की)	60,000
2	ग्रेडर	1,00,000
3	डीस्टोनर	1,00,000
4	डीहलर	1,00,000
5	ग्रेविटी सेपरेटर	1,80,000
6	पैकिंग	1,00,000
	कुल मूल्य	6,40,000

नोट—आवेदक मिलेट्स के लिए कोई अन्य प्रसंस्करण उपकरण भी खरीद सकते हैं, ऊपर उल्लिखित उपकरण केवल उदाहरणार्थ हैं।

इस हेतु अनुदान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/मुख्यमन्त्री राज्य कृषि विकास योजना से उपलब्ध कराई जायेगी। अनुदान, सम्बंधित योजना में अनुमन्यता के अनुसार देय होगा।

7.1.3. अनुदान :

प्रति प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, इस नीति के तहत प्रदान किया जाने वाला अनुदान, 50 नाली (01 हे०) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे० क्षेत्रफल तक) को प्रति यूनिट कुल लागत पर 80 प्रतिशत अथवा रु० 5,00,000.00, जो भी कम हो, तथा 50 नाली (01 हे०) से अधिक क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे० से अधिक क्षेत्रफल) को प्रति यूनिट कुल लागत पर 50 प्रतिशत अथवा रु० 3,00,000.00, जो भी कम हो, देय होगा।

7.1.4. लक्ष्य :

	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	24	44

7.1.5. क्रियान्वयन प्रक्रिया :

1. एफपीओ और कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी योजना अन्तर्गत क्लस्टरों के कृषक समूह, ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
2. प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई की तकनीकी विशिष्टताएं, प्रति विकासखंड अनुदान के लिए पात्र, ऐसी इकाइयों की संख्या, प्रति इकाई अनुमानित अधिकतम अनुदान, सूचीबद्ध फर्म्स और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं, वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
3. एक आवेदनकर्ता केवल उस विकास खंड के लिए अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है, जिसमें वह स्थित है।
4. प्रति चयनित विकास खंड में 01 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रथम वरीयता एफपीओ को दी जायेगी, इसके उपरान्त वीर माधो सिंह भण्डारी सामूहिक सहकारी योजना अन्तर्गत क्लस्टरों के कृषक समूहों को, तदोपरान्त कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जायेगी।
5. चयनित आवेदकों को स्वीकृति उपरान्त 30 दिनों के भीतर प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई के लिए खरीदे गए उपकरणों का एक विस्तृत विवरण मय फोटोग्राफ्स एवं मूल्य इत्यादि सहित विकास खंड स्तरीय कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
6. प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई के लिए खरीदे गए उपकरणों के लिए राजसहायता हेतु अनुमन्य धनराशि का भुगतान Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI के माध्यम से वेण्डर्स को किया जाएगा।
7. प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई में उपकरणों के सत्यापन और उक्त इकाई में मिलेट्स के सफल प्रसंस्करण के निरीक्षण के लिए एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया जाएगा।
8. संयुक्त निरीक्षण दल की संरचना इस प्रकार होगी:-
 - मुख्य कृषि अधिकारी।
 - कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी।
 - सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1।
9. मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई के सफल सत्यापन पर, निरीक्षण दल, आख्या अपर/संयुक्त निदेशक, कृषि, मण्डलीय मुख्यालय को प्रेषित करेगा, जो तदनुरूप यथोचित कार्यवाही करेगा।

अध्याय-8

पारिस्थितिकी-तंत्र : (Ecosystem Development)

प्रदेश के मिलेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने हेतु निम्नवत् कार्य किये जायेंगे:-

8.1. ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार :

क. मिलेट एम्बेसडर :

प्रदेश के लोकप्रिय व्यक्तियों को मिलेट्स एम्बेसडर के रूप में शामिल करने से मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, उनकी भागीदारी मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकती है और मिलेट्स की खपत में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है।

ख. प्रचार अभियान :

श्री अन्न महोत्सव जैसे आयोजनों के दौरान व्यापक प्रचार अभियान से मिलेट्स के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। इन अभियानों में मिलेट्स आधारित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए खाना पकाने के प्रदर्शन और शैक्षिक सत्र शामिल होंगे।

ग. ब्रांडिंग पहल :

उत्तराखंड के श्री अन्न फसलों के लिए एक अलग ब्रांड पहचान स्थापित करने के लिए ऐसी पैकेजिंग विकसित करना शामिल होगा, जो इसके पोषण मूल्य और स्थानीय महत्व पर जोर देगा। इस ब्रांडिंग पॉलिसी का उद्देश्य स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत बाजार बनाना है।

8.2. बुनियादी ढांचे का विकास :

1. मिलेट्स फसलों के क्लस्टर विकसित कर, किसानों को उनके उत्पाद के बिक्री में सहायता प्रदान किया जायेगा। इन क्लस्टरों पर आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई जैसी आवश्यक सेवाएं विकसित की जायेगी।
2. विकेंद्रीकृत स्थानों पर मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने से मिलेट्स के लिए मूल्य संवर्धन बढ़ेगा, जिससे आटा, स्नैक्स और रेडी-टू-ईट मील जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन संभव होगा। यह बुनियादी ढांचा किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ता मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
3. प्रदेश में मिलेट्स का एग्रीटेक-इन्नोवेशन हब बनाने से मिलेट्स की खेती की तकनीकों, मूल्य संवर्धन प्रक्रियाओं और बाजार रणनीतियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स उत्पादों पर केंद्रित स्टार्ट-अप के लिए पूरे राज्य में मिनी हब भी स्थापित किए जायेंगे।
4. मिलेट्स के लिए APEDA के सहयोग से एक समर्पित निर्यात व्यापार केंद्र विकसित करने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज पर अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।

8.3. अभिसरण रणनीतियाँ :

विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं का अभिसरण कर मिलेट्स फसलों के उत्पादन एवं प्रोत्साहन पर कार्य किया जायेगा।

क. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) :

मिलेट्स फसलों हेतु सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित किया जा सकेगा।

ख. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) :

भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए वित्त पोषण।

ग. आरकेवीवाई और एनएफएसएम :

मिलेट्स संवर्धन गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) से आवश्यक कार्य किये जायेंगे।

8.4. श्री अन्न पार्क :

श्री अन्न पार्क विकसित किया जाना है, जिसमें विभिन्न एकीकृत घटकों के माध्यम से मिलेट्स को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रत्येक घटक के लिए क्षेत्रफल और मात्रात्मक रूप से आवंटन की रूपरेखा पर निम्नवत् प्रकार होगी:-

8.4.1. गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला :

- स्थान आवश्यकता- 5,000 वर्ग फीट
- मिलेट्स उत्पादों के लिए प्रति माह 500 परीक्षण करने की क्षमता।
- कम से कम 100 स्थानीय उत्पादकों के लिए सालाना प्रमाणन सेवाएँ।
- अनुमानित लागत (रु० करोड़ में) : रु० 3.2905।

8.4.2. प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन इकाइयाँ :

- स्थान आवश्यकता- 20,000 वर्ग फीट
- प्रतिदिन 10 टन मिलेट्स की प्रसंस्करण क्षमता।
- पहले वर्ष, कम से कम 05 विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों (जैसे, आटा, स्नैक्स) का उत्पादन।
- अनुमानित लागत (रु० करोड़ में) : रु० 8.6620।

8.4.3. पैकेजिंग और लेबलिंग सुविधा :

- स्थान आवश्यकता- 10,000 वर्ग फीट
- प्रतिदिन 02 मि०टन तक मिलेट्स उत्पादों को पैक करने की क्षमता।
- कम से कम 10 उत्पादों के लिए मानकीकृत पैकेजिंग का विकास।
- अनुमानित लागत (रु० करोड़ में) : रु० 4.5810।

8.4.4. भंडारण अवसंरचना :

- स्थान आवश्यकता— 15,000 वर्ग फीट (सिलोस और गोदामों सहित)
- मिलेट्स उत्पादन और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए 500 मि0टन तक भंडारण क्षमता।
- 75% से अधिक की सफलता दर के साथ एक पेस्ट प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- अनुमानित लागत (रु0 करोड़ में) : रु0 6.3715।

8.4.5. मिलेट्स पर्यटन और अनुभव केंद्र :

- स्थान आवश्यकता— 10,000 वर्ग फीट
- वर्ष में कम से कम 15,000 आगंतुकों की अपेक्षित संख्या।
- 75 प्रतिभागियों की औसत उपस्थिति के साथ मासिक कार्यशालाओं और खाना पकाने के प्रदर्शनों का आयोजन।
- अनुमानित लागत (रु0 करोड़ में) : रु0 4.5810।

8.4.6. निर्यात सुविधा केंद्र :

- स्थान आवश्यकता— 5,000 वर्ग फीट
- पहले दो वर्षों में कम से कम 01 करोड़ धनराशि की लागत के मिलेट्स की निर्यात सुविधा।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में प्रतिवर्ष कम से कम 50 निर्यातकों को सहायता।
- अनुमानित लागत (रु0 करोड़ में) : रु0 4.2905।

8.4.7. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) केंद्र :

- स्थान आवश्यकता— 5,000 वर्ग फीट
- अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष कम से कम तीन शैक्षणिक संस्थानों (जैसे, आईआईटी रुड़की, वी0प0कृ0अ0सं0 अल्मोडा, जीबीपीयूएटी पंतनगर) के साथ सहयोग।
- प्रतिवर्ष दो नई मिलेट्स प्रजातियों या प्रसंस्करण तकनीकों का विकास।
- अनुमानित लागत (रु0 करोड़ में) : रु0 2.7905।

8.4.8. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण :

- स्थान आवश्यकता— 5,000 वर्ग फीट
- प्रतिवर्ष कम से कम 2,000 किसानों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
- मिलेट्स प्रसंस्करण में कम से कम 250 एसएचजी को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय एसएचजी के साथ साझेदारी की स्थापना।
- अनुमानित लागत (रु0 करोड़ में) : रु0 2.7905।

8.4.9. श्री अन्न पार्क हेतु भूमि की आवश्यकता एवं अनुमानित धनराशि का सार संकलन निम्नानुसार है:-

मद	स्थान आवश्यकता (वर्ग फीट में)	अनुमानित धनराशि (रु० करोड़ में)		कुल योग
		अधःसंरचना निर्माण हेतु	कृषि उपकरणों/यंत्रों की स्थापना हेतु	
गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	5,000	1.7905	1.5	3.2905
प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयाँ	20,000	7.1620	1.5	8.6620
पैकेजिंग और लेबलिंग सुविधा	10,000	3.5810	1.5	4.5810
भंडारण अवसंरचना	15,000	5.3715	1.0	6.3715
मिलेट्स पर्यटन और अनुभव केंद्र	10,000	3.5810	1.0	4.5810
निर्यात सुविधा केंद्र	5,000	1.7905	2.5	4.2905
अनुसंधान और विकास (आर & डी) केंद्र	5,000	1.7905	1.0	2.7905
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	5,000	1.7905	1.0	2.7905
मार्ग	90,000			
पार्किंग	40,000			
कुल क्षेत्रफल	2,05,000	26.86	11.00	37.36

नोट- 1. श्री अन्न पार्क की स्थापना, भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है, तदोपरांत आवश्यक व्यवस्थाएं एवं धनराशि की उपलब्धता/मांग, राज्य बजट से सुनिश्चित की जायेगी, इस कार्य में औद्योगिक विकास विभाग का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

2. श्री अन्न पार्क के लिए **Private Investments** को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3. भूमि की उपलब्धता के अनुसार छोटे-छोटे श्री अन्न पार्क (आवश्यकतानुसार कतिपय घटकों को लेकर) की स्थापना की जा सकेगी।

4. श्री अन्न पार्क में इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान इत्यादि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

8.5. मिलेट्स सम्बन्धी बेकरी उद्योग को प्रोत्साहित करना :

मिलेट्स फसलों के उत्पादों का प्रयोग बेकरी उत्पादों के उत्पादन में किया जा सकेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस हेतु MSME विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं से अभिसरण किया जायेगा। मिलेट्स नमकीन, मिलेट्स बिस्किट, मिलेट्स ब्रेड आदि जैसे बेकरी उत्पादों एवं अन्य प्रसंस्करण उत्पाद यथा-रेडी टू इट, बेबी फूड, पब्ब उत्पाद आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

अध्याय—8

क्षमता—विकास

मिलेट्स नीति/कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मिलेट्स की खेती करने वाले कृषकों/समूहों तथा सम्मिलित विभागों के क्षमता विकास पर पर्याप्त कार्यवाही की जायेगी।

9.1. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) :

9.1.1. उत्तराखंड में 'मिलेट्स' की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'सूचना' का प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स और स्थानीय रेडियो चैनलों के माध्यम से किसानों को मिलेट्स की उन्नत किस्मों एवं नई तकनीकों और खेती के लाभों के बारे में सटीक जानकारी दी जाएगी। विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में सरल और स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना किसानों को जागरूक करने के लिए प्रभावी उपाय होगा।

9.1.2. 'शिक्षा' के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीनतम विधियों और मिलेट्स की खेती से संबंधित उन्नत तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विष्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में खेती के वैज्ञानिक पहलुओं, मिलेट्स के पोषण महत्व और बाजार की जरूरतों पर भी जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

9.1.3. 'संचार' के द्वारा किसानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय नेटवर्क्स का उपयोग करते हुए, किसानों को एक-दूसरे से जोड़ने के उपाय किए जाएंगे। किसान संगठनों और सहकारी समितियों के माध्यम से भी उनका समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि अधिकारियों के साथ नियमित संवाद से किसानों को सरकारी योजनाओं, अनुदानों और मिलेट्स उत्पादन में मदद मिल सकेगी, जो उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी।

9.2.1. जागरूकता कार्यक्रम :

किसानों, उपभोक्ताओं और हितधारकों को मिलेट्स के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना, जिसमें टिकाऊ कृषि और स्वास्थ्य में इसकी भूमिका शामिल है। इस हेतु निम्नवत् प्रयास किये जायेंगे:-

1. न्यूट्री हब आई0आई0एम0आर0 हैदराबाद के साथ ज्ञान भागीदार (Knowledge Partner) के रूप में एक सहयोगी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम किसानों, शोधकर्ताओं और पॉलिसी निर्माताओं सहित हितधारकों के लिए मिलेट्स संवर्धन नीतियों पर चर्चा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
2. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) तथा विभिन्न प्रशासनिक अकादमियों से विचार-विमर्श करके सरकारी अधिकारियों और सिविल सेवकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम टिकाऊ कृषि पद्धतियों, मिलेट्स की खेती की तकनीकों और मिलेट्स संवर्धन के लिए पॉलिसी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

3. कृषि एवं कृषक कल्याण तथा सहवर्ती विभागों की मिलेट्स फसलों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करके, अलग-अलग स्तरों पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इससे मिलेट्स फसलें, आम जनमानस के मध्य प्रचलित होंगी तथा विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल बनेगा।

4. राज्य में महिला एसएचजी के सशक्तिकरण के लिए 250 एसएचजी के माध्यम से चयनित 24 विकास खंडों में मिलेट्स मूल्य संवर्धन के लिए लगभग 2,500 महिलाओं को लक्षित करके, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।

9.3. शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका :

शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान का प्रतिभाग, मिलेट्स फसलों के संवर्धन तथा नवीनतम तकनीक विकसित करने हेतु किया जायेगा। प्रदेश में स्थित निम्नवत् संस्थानों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा:-

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की : प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं मूल्य संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग।
- विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएस) अल्मोड़ा : मिलेट्स की खेती, प्रजातियों में सुधार और कृषि संबंधी क्रियाकलापों पर अनुसंधान में सहयोग।
- गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर : मिलेट्स की खेती और प्रसंस्करण पर किसानों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर : मिलेट्स पर आधारित स्टार्ट-अप के लिए व्यवसाय विकास और उद्यमिता सहायता प्रदान करने में सहयोग।

9.4. सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) :

कार्यक्रम के सहज, सुगम एवं सरल संचालन हेतु इसके अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न Value Chain को प्राप्त करने के लिए वर्णित गतिविधियां यथा: पीएम0यू0 की स्थापना, ऑनलाईन पंजीकरण, Digital Payments, प्रशिक्षण, क्षमता-विकास, प्रोत्साहन, शोध एवं प्रसार, नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु दोनों चरणों के लिए अनुमानित बजट ₹ 8.00 करोड़ होगा।

9.5. पीएम0यू0 की स्थापना :

मिलेट्स फसलों के संवर्धन तथा प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में न्यूट्री हब की एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। पीएमयू, मिलेट्स प्रोत्साहन को सुनिश्चित करेगा, प्रगति को नजर रखेगा और हितधारक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाएगा। इस हेतु इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ एम0ए0यू0 किया गया है तथा संस्थान द्वारा मिलेट के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा संस्थान को मिलेट के सम्बन्ध में नोडल संस्थान भी बनाया गया है। पीएम0यू0 की स्थापना हेतु IIMR Hyderabad को अधिकृत किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार पन्तनगर विश्वविद्यालय तथा विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से भी वैज्ञानिकों को सम्मिलित कर निम्न प्रकार से गठन किया जाना प्रस्तावित है-

Project Planning and Execution

- Develop a comprehensive project plan outlining timelines, milestones, and deliverables
- Oversee the establishment of Shree Anna Park including mid-term review and corrections as per the need.

- Implement quality control measures to ensure that all products meet health regulations and safety standards.
- Maintain documentation for compliance with local, state, and federal regulations related to food processing.
- Coordinate activities among various stakeholders including farmers/FPOs, SHGs, Startups, Industry, and government bodies.
- Organize training sessions for staff on new technologies and processing techniques related to millet production.
- Foster partnerships with local agricultural institutions for knowledge exchange.
- Engage with local farmers to promote millet cultivation practices that support sustainable agriculture.
- Establish cooperative models to enhance supply chain efficiency from farm to market.
- Conduct surveys to understand consumer preferences for millet products.
- Analyse market trends to identify opportunities for product development and marketing strategies

Role & Responsibilities of PMU

Team Leader –

- oversee management, coordination, implementation and achievement of all consortium activities, and provide necessary technical expertise, with strategic and operational leadership to the PMU, to ensure program objectives are met.
- Oversee all relevant monitoring, evaluation and research efforts,
- ensuring high quality of reports and good knowledge management and dissemination of program learning and results;
- Identify, design and implement effective and efficient systems to support the smooth implementation of all aspects of the program (including operations, financial management, monitoring, and reporting);
- Ensure high-quality and timely submission of all narrative reports and deliverables to the Government .
- From time to time the Team Leader will be required to take on additional duties and tasks, as need within the PMU and program arises.
- Responsible for overall planning, monitoring, tracking budgets and activities related to the program;
- Development of systems for planning, coordination, and monitoring of the program;
- All the above mentioned activities under project planning & execution will be implemented by Team Leader with coordination with team & Department.

(ii) Sr Project Manager/Project Manager:

- Defining project goals and objectives related to millet cultivation, including yield targets, quality standards, and market reach. Developing a comprehensive project plan outlining timelines, tasks, resource allocation, and budget.
- Identifying potential risks and developing mitigation strategies.
- Selecting appropriate millet varieties based on climate, soil conditions, and market demands.

- Overseeing land preparation, planting, irrigation, pest management, and harvesting activities.
- Ensuring adherence to best practices for millet cultivation.
- Monitoring crop health and making necessary adjustments based on field observations.
- Establishing quality standards for harvested millet.
- Managing post-harvest activities like cleaning, storage, and packaging.
- Tracking project expenditures against the budget.
- Managing funds allocated for inputs like seeds, fertilizers, and equipment.
- Reporting on financial performance to department.

(iii) Research Manager-

- overseeing the entire research process, from project conception and design to data collection, analysis, and dissemination, ensuring the project effectively investigates and develops improved millet varieties, cultivation practices, and post-harvest technologies, while managing budgets, timelines, and research teams to achieve project goals.
- Identifying research gaps and formulating project objectives aligned with current millet challenges.
- Securing funding and managing project budgets.
- Leading field trials and experiments across different locations and environments.
- Coordinating with research teams, including scientists, technicians, and field staff.
- Monitoring data collection and ensuring data integrity.
- Building relationships with relevant stakeholders like farmers, processors, NGOs, and government agencies.
- Disseminating research findings through publications, conferences, and workshops.
- Identifying opportunities to incorporate new technologies and approaches into millet research.
- Facilitating the transfer of research findings to farmers for practical application.

(iv) Support staff: Support staff like Office Assistants, Accountant will be hired to support the Specialists, Experts and Team leader.

नोट-पी0एम0यु हेतु वित्तीय ढाँचा परिशिष्ट-V पर दिया गया है।

9.6. मिलेट्स फसलों पर प्रसार शिक्षा (एक्सटेंशन) :

मिलेट्स फसलों के संबंध में कृषकों को जागरूक करने हेतु तथा नवोन्मेषी तकनीक के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि वैज्ञानिकों के साथ गोष्ठियाँ तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं कृषक महोत्सव आदि आयोजित कराये जायेंगे। साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय में स्थापित प्रसार केन्द्र की सहायता से मिलेट्स फसलों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आतमा योजना, एन0एफ0एस0एम0 योजना आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता से मिलेट फसलों के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट आदि आयोजित किया जायेगा।

अध्याय—10

फसल—बीमा

मिलेट्स पॉलिसी अन्तर्गत चयनित कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किया जायेगा, जिससे कि किसानों द्वारा उगायी गयी फसलों में बुवाई से लेकर कटाई तक क्षति के कारण विभिन्न उत्पादन जोखिमों से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम किया जा सके। फसल—बीमा करने से मिलेट्स फसलों के उत्पादन करने में कृषकों का रुझान बढ़ेगा एवं किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों की आय को स्थिर रखा जा सकेगा।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 675—XIII-2/2023-07 (1-योजना)—2020, दिनांक: 05 जुलाई, 2023 द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ एवं रबी फसलों हेतु 03 वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) हेतु लागू करने के सम्बंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें प्रत्येक जनपदवार मण्डुवा फसल की बीमित धनराशि प्रति हेक्टेयर एवं कृषकों द्वारा 02 प्रतिशत देय प्रीमियम का विवरण निर्धारित किया गया है। स्टेट मिलेट्स पॉलिसी अन्तर्गत कृषकों का मण्डुवा फसल के लिए बीमा हेतु पंजीकरण करवाया जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु कृषक अंश के रूप में आने वाली प्रीमियम धनराशि का 2% कृषक द्वारा देय होगा।

अध्याय—11

फसल—सुरक्षा

पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेट्स मुख्य फसलों में से एक है। जंगली जानवरों से कृषि फसलों एवं क्षेत्र को नुकसान होने से कृषक हतोत्साहित होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट्स फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मिलेट्स की खेती कर रहे कृषक, जो को घेरबाड़ के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें घेरबाड़ विभाग में संचालित जिला योजना/मनरेगा कन्वरजेंस से लक्ष्यों के अनुसार उपलब्ध करवायी जायेगी, जिसके लिए उक्त योजना की गाइडलाईन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा।

अध्याय—12

समिति

12.1. उच्चाधिकार समिति (HPC) :

“उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी” के पर्यवेक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति होगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:—

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
12.	महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान	सदस्य

13.	मिलेट्स के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान के निदेशक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक, कृषि	सदस्य
15.	कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	सदस्य
16.	कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी	सदस्य
17.	मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य

यह समिति, पॉलिसी (नीति) की किसी भी समय समीक्षा कर सकेगी, परन्तु प्रति अर्द्धवार्षिक आधार पर अपरिहार्य रूप से समीक्षा करेगी, जो कि नीति के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रगति एवं मूल्यांकन इत्यादि का अनुश्रवण एवं समीक्षा कर सकेगी।

समिति, पॉलिसी (नीति) में किसी प्रकार की अस्पष्टता को स्पष्ट करने हेतु सक्षम होगी, पॉलिसी (नीति) में किसी प्रकार की कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय ले सकेगी, पॉलिसी (नीति) के सरल, सहज एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार का संसोधन इत्यादि करने हेतु निर्णय ले सकेगी।

12.2. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति :

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में नीति की वैधता तक प्रति त्रैमासिक आधार पर बैठक कर, नीति के नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रगति का मूल्यांकन एवं समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी सफलता हेतु सुझाव भी देगी और राज्य स्तर पर प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान कर सकेगी। इस समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे—

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. कृषि उत्पादन आयुक्त | — | अध्यक्ष। |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त | — | सदस्य। |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण | — | सदस्य। |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास | — | सदस्य। |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता | — | सदस्य। |
| 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा | — | सदस्य। |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | — | सदस्य। |
| 8. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान विभाग | — | सदस्य सचिव। |
| 9. निदेशक, कृषि | — | सदस्य। |
| 10. निबंधक, सहकारी समितियां | — | सदस्य। |

11. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद्	—	सदस्य।
12. निदेशक, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोडा	—	सदस्य।
13. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि०	—	सदस्य।
14. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्	—	सदस्य।

12.3. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति :

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में पॉलिसी के कार्यान्वयन के प्रभावी निगरानी एवं समीक्षा इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगी। इस समिति में सदस्य निम्नवत् होंगे:—

1. जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य।
4. सहायक निबंधक, सहकारी समितियां	—	सदस्य।
5. जिला आपूर्ति अधिकारी	—	सदस्य।
6. मुख्य कृषि अधिकारी	—	सदस्य सचिव।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी	—	सदस्य।
8. प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	—	सदस्य।

12.4. केन्द्र पोषित योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (पूर्व में एन०एफ०एस०एम०) योजना के माध्यम से रखे गये तकनीकी सहायक तथा कन्सल्टेंट, जनपद स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी के निर्देशन में इस योजना में भी सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (पूर्व में एन०एफ०एस०एम०) में रखे जाने वाले तकनीकी सहायक तथा कन्सल्टेंट, राज्य नोडल अधिकारी, अपर/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) के निर्देशन में इस योजना में सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त कार्मिकों के मानदेय का भुगतान केन्द्र पोषित योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (पूर्व में एन०एफ०एस०एम०) योजना से किया जायेगा। उक्त योजना की रिवैम्ड गाइडलाईन-2018 के अनुसार राज्य के 04 जनपदों यथा: चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी एवं रुद्रप्रयाग में तकनीकी सहायक नहीं रखे गये हैं, जिन्हें आर०के०वी०वाई/मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना से रखा जायेगा।

अध्याय—13

आरुटकम

- उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी सम्पादित होने के पश्चात राज्य में पारम्परिक रूप से उगाई जाने वाली मिलेट्स फसलों यथा: मंडुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना के उत्पादन में वृद्धि होगी।
- कृषकों को अनुदान पर बीज एवं अन्य निवेश उपलब्ध करवाये जाने से एवं उचित प्रोत्साहन मिलने से उनके आय के स्रोतों में भी वृद्धि होगी।
- कृषि मशीनरी एवं मिलेट्स प्रोसेसिंग उपकरणों के प्रयोग से मिलेट्स फसलों के प्रसंस्करण में सहायता मिलेगी, जिससे समय की बचत के साथ गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- मिलेट्स फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा।
- मिलेट्स मूल्य संवर्धन उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।
- एफपीओ को बढ़ावा प्राप्त होगा।
- मिलेट्स के अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ आज की पीढ़ी को इसके बारे में अच्छी तरह से जागरूक करेंगे, जिससे आम तौर पर मिलेट्स फसलों की मांग बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप मिलेट्स उत्पादन के तहत अधिक क्षेत्रफल शामिल होगा।
- स्टेट मिलेट मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित 16,500.00 मि0टन मण्डुवा अंतर्ग्रहण करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।
- मिलेट्स के उत्पादों को उद्यमियों/व्यावसायियों तथा विपणन हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- नीति के अन्तर्गत प्रथम चरण में 30,000 हे0 एवं द्वितीय चरण में 40,000 हे0, जिसका योग कुल 70,000 हे0, के क्षेत्रफल पर उत्पादन कार्य किया जायेगा, जिससे वर्तमान उत्पादकता के आधार पर 1,05,000 मि0टन उत्पादन सुनिश्चित होगा तथा कार्यक्रम से मिलेट्स फसलों अन्तर्गत औसत 05 कु0 प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि भी प्राप्त होगी, जिससे मिलेट्स के अन्तर्गत अनुमानित 1.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगभग 5.00 लाख कु0 (50,000.00 मि0टन) अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु0 3,846.00 प्रति कु0) पर 192.30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष Turnover प्राप्त किया जा सकेगा।
- मिलेट्स उत्पादन से सम्बन्धित लगभग 03 लाख कृषक सीधे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त विपणन व्यवस्था के माध्यम से रोजगार का सृजन भी होगा।
- मिलेट्स मूल्य आपूर्ति श्रृंखला का विकास होगा।
- मिलेट्स श्री अन्न फूड पार्क की स्थापना की जा सकेगी।

14.1. निरसन :

राज्य मिलेट मिशन वर्ष 2023 से 2027, इस नीति के क्रियान्वयन के पश्चात समाप्त हो जाएगा।

परन्तु, उक्त मिशन के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान, उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

14.2. लाभ दुहराव की रोकथाम :

राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत, जिन कृषकों अथवा समूहों को मिलेट्स की खेती करने हेतु, यदि कोई लाभ प्राप्त हो चुका है, तो उसे पुनः वह लाभ, इस नीति के अंतर्गत देय नहीं होगा, परन्तु इस नीति के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे।

14.3. वसूली एवं पेनाल्टी :

क. जो कोई कृषक अथवा समूह, इस नीति के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि अथवा आदानों (Inputs) का दुरुपयोग करेगा, उस सम्पूर्ण धनराशि की वसूली, उससे की जाएगी।

ख. वसूली की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि के बराबर ही पेनाल्टी अतिरिक्त रूप से आरोपित की जायेगी।

ग. डिफॉल्टर कृषक अथवा समूह, भविष्य में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों हेतु अनर्ह घोषित हो जाएगा।

घ. वसूली एवं पेनाल्टी के संबंध में आदेश, कृषि निदेशक के स्तर से जारी किया जाएगा।

ङ. कृषि निदेशक के आदेश के विरुद्ध, अपील महानिदेशक कृषि एवं उद्यान को जा सकती है। अपील में पारित आदेश, अंतिम होगा।

परिशिष्ट-I

प्रथम चरण अन्तर्गत चयनित विकास खंड

विकासखण्डवार मण्डुवा फसल अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्रफल (है०में)					
क्र० सं०	जनपद का नाम	क्र० सं०	विकासखण्ड	कुल गांवों की संख्या	क्षेत्रीय आंकलन के आधार पर मंडुवा फसल में अनुमानित बोया जाने वाला क्षेत्रफल
1	चमोली	1	कर्णप्रयाग	236	750
		2	देवाल	75	215
		3	दशोली	136	655
		4	गैरसैण	231	865
		योग चमोली		678	2485
2	पौड़ी	1	पौड़ी	228	215
		2	पाबौं	158	470
		3	थलीसैण	224	1450
		4	बीरोंखाल	267	590
		योग पौड़ी गढ़वाल		877	2725
3	रुद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनि	366	1565
		2	जखोली	168	875
		3	ऊखीमठ	147	630
		योग रुद्रप्रयाग		681	3070
4	टिहरी गढ़वाल	1	जौनपुर	260	570
		2	कीर्तिनगर	160	385
		3	प्रतापनगर	128	445
		4	भिलंगना	274	905
		योग टिहरी गढ़वाल		822	2305
5	उत्तरकाशी	1	डुण्डा	130	455
		2	नौगांव	186	935
		योग उत्तरकाशी		316	1390
6	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	217	845
		2	धौलादेवी	232	1630
		3	हवालबाग	234	1025
		4	स्यालदे	195	1415
		5	लमगाडा	218	1390
		6	ताकुला	158	1144
		योग अल्मोड़ा		1254	7449
7	बागेश्वर	1	गरुड़	189	756
		योग		189	756
कुल योग				4817	20180

परिशिष्ट-II

उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य					
क्र०स०	घटक	प्रथम चरण (30,000 है०)			अभ्युक्ति
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	मिलेट्स बीज वितरण (80 प्रतिशत)	1000 कुन्तल	1000 कुन्तल	1000 कुन्तल	एन०एफ०एस०एम/बीज ग्राम सी०एम०आर०के०वी०वाई
2	मिलेट्स की खेती के लिए इनपुट (जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व 80 प्रतिशत अनुदान पर)	30,000 हैक्टेयर	30,000 हैक्टेयर	30,000 हैक्टेयर	राज्य मिलेट मिशन
3	बुआई के लिए प्रोत्साहन	30,000 हैक्टेयर	30,000 हैक्टेयर	30,000 हैक्टेयर	राज्य मिलेट मिशन
4	बुखारी (क्षमता 2 किंटल)	1000 संख्या	1000 संख्या	1000 संख्या	राज्य मिलेट मिशन/बीज ग्राम
5	कृषि उपकरण (80 प्रतिशत)	75 संख्या	75 संख्या	—	एस०एम०ए०एम/सी०एम०आर०के०वी०वाई/एस०पी०ए०आर
6	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	12 संख्या	12 संख्या	—	एन०एफ०एस०एम/सी०एम०आर०के०वी०वाई/एस०पी०ए०आर
7	कृषक/समूह को पुरुष्कृत	48	48	48	राज्य मिलेट मिशन

क्र०स०	घटक	द्वितीय चरण (40,000 है०)			अभ्युक्ति
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	मिलेट्स बीज वितरण (80 प्रतिशत)	1250 कुन्तल	1250 कुन्तल	1250 कुन्तल	एन०एफ०एस०एम/बीज ग्राम सी०एम०आर०के०वी०वाई
2	मिलेट्स की खेती के लिए इनपुट (जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व 80 प्रतिशत अनुदान पर)	40,000 हैक्टेयर	40,000 हैक्टेयर	40,000 हैक्टेयर	राज्य मिलेट मिशन
3	बुआई के लिए प्रोत्साहन	40,000 हैक्टेयर	40,000 हैक्टेयर	40,000 हैक्टेयर	राज्य मिलेट मिशन
4	बुखारी (क्षमता 2 किंटल)	1000 संख्या	1000 संख्या	1000 संख्या	राज्य मिलेट मिशन/बीज ग्राम
5	कृषि उपकरण (80 प्रतिशत)	100 संख्या	100 संख्या	—	एस०एम०ए०एम/सी०एम०आर०के०वी०वाई/एस०पी०ए०आर
6	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई	22 संख्या	22 संख्या	—	एन०एफ०एस०एम/सी०एम०आर०के०वी०वाई/एस०पी०ए०आर
7	कृषक/समूह को पुरुष्कृत	88	88	88	राज्य मिलेट मिशन

परिशिष्ट-III

प्रथम चरण

उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट पॉलिसी अन्तर्गत योजनावार वित्तीय सहायता (करोड में)						
क्र०सं	योजना का नाम	मद	प्रथम चरण (30000 हे०)			कुल
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
अ	उत्तराखण्ड राज्य मिलेट मिशन					
1		मिलेट्स की खेती के लिए इनपुट (जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व /— 1600.00/हेक्टेयर)	4.80	4.80	4.80	14.40
2		बुआई के लिए प्रोत्साहन (अन्य बुआई विधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि)	9.90	6.60	2.64	19.14
3		बुखारी (क्षमता 2 किंवटल)/रु० 300.00	0.03	0.03	0.03	0.09
4		मिलेट्स अन्तर्ग्रहण हेतु परिवहन पर व्यय (10 किंवटल/हेक्टेयर उपज के आधार पर गणना की गई और 2 से विभाजित) = 1.50 लाख किंवटल उत्पादन/ रु. 75.00/किंवटल	1.125	1.125	1.125	3.375
5		एसएचजी आदि के लिए मिलेट अन्तर्ग्रहण हेतु प्रोत्साहन रु. 300.00/किंवटल (150000 किंवटल)	4.50	4.50	4.50	13.50
6		विकास खण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु 02 कृषक/समूह को पुरस्कार रु 10,000.00/विकास खण्ड	0.048	0.048	0.048	0.144
7		पीएम0यु0 स्थापना एवं क्षमता विकास कार्य	1.71	1.46	1.36	4.53
8		प्रशासनिक व्यय	0.50	0.50	0.50	1.50
योग			22.613	19.603	15.003	56.679
ब	केन्द्रपोषित योजना					
1	एन0एफ0एस0एम0/बीज ग्राम	मिलेट्स बीज/रु० 3000.00/कु०	0.30	0.30	0.30	0.90
2	एस0एम0ए0एम0	कृषि उपकरण/रु० 50000.00/उपकरण	0.38	0.38	0.00	0.76
3	एन0एफ0एस0एम	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई/रु. 400000.00 प्रति उपकरण	0.48	0.48	0.00	0.96
4	एस0एम0एस0पी	बुखारी (क्षमता 2 किंवटल) लागत का 50 प्रतिशत या रु 200.00 जो भी कम हो	0.02	0.02	0.02	0.06
योग			1.18	1.18	0.32	2.68
स	अन्य योजनाएँ					
1	सी0एम0आर0के0वी0वाई0	मिलेट्स बीज /3000.00 /कु०	0.26	0.26	0.26	0.78
2	जलपम्प,,सिंप्रकलर सैट एवं पॉलीहाउस विविधीकरण योजना/सी0एम0आर0के0वी0वाई	कृषि यंत्र/रु० 22000.00/कृषि यंत्र	0.165	0.165	0.00	0.33
	योग		0.425	0.425	0.260	1.110
	महायोग		24.213	20.663	15.583	60.469

क्रमशः

द्वितीय चरण

योजनावार वित्तीय सहायता (करोड़ में)						
क्र०सं	योजना का नाम	मद	द्वितीय चरण (40000 है०)			कुल
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
अ	उत्तराखण्ड राज्य मिलेट मिशन					
1		मिलेट्स की खेती के लिए इनपुट (जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक/जिंक/सूक्ष्म पोषक तत्व/— 1600.00/हेक्टेयर)	6.40	6.40	6.40	19.20
2		बुआई के लिए प्रोत्साहन (अन्य बुआई विधि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि)	13.20	8.80	3.52	25.52
3		बुखारी (क्षमता 2 किंवंटल)/रु० 300.00	0.03	0.03	0.03	0.09
4		मिलेट्स अन्तर्ग्रहण हेतु परिवहन पर व्यय (10 किंवंटल/हेक्टेयर उपज के आधार पर गणना की गई और 2 से विभाजित) = 1.50 लाख किंवंटल उत्पादन /रु. 75.00/किंवंटल	1.50	1.50	1.50	4.50
5		एसएचजी आदि के लिए मिलेट अन्तर्ग्रहण हेतु प्रोत्साहन रु. 300.00/किंवंटल (150000 किंवंटल)	4.50	4.50	4.50	13.50
6		विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु 02 कृषक/समूह को पुरस्कार रु 10,000.00/विकास खण्ड	0.088	0.088	0.088	0.264
7		पी०एम०यु स्थापना एवं क्षमता विकास कार्य	1.21	1.13	1.13	3.47
8		प्रशासनिक व्यय	0.60	0.60	0.60	1.80
योग			27.528	23.048	17.768	68.344
ब	केन्द्रपोषित योजना					
1	एन०एफ०एस०एम/बीज ग्राम	मिलेट्स बीज /3000.00 /कु०	0.375	0.375	0.375	1.125
2	एस०एम०ए०एम	कृषि उपकरण/रु० 50000.00/उपकरण	0.50	0.50	0.00	1.00
3	एन०एफ०एस०एम	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई / रु 400000.00 प्रति उपकरण	0.88	0.88	0.00	1.760
4	एस०एम०एस०पी	बुखारी (क्षमता 2 किंवंटल) लागत का 50प्रतिशत या रु 200.00 जो भी कम हो	0.02	0.02	0.02	0.060
योग			1.775	1.775	0.395	3.945
स	अन्य योजनाएँ					
1	सी०एम०आर०के०वी०वाई	मिलेट्स बीज /3000.00/कु०	0.325	0.325	0.325	0.98
2	जलपम्प, स्प्रिंकलर सेट एवं पॉलीहाउस विविधीकरण योजना/सी०एम०आर०के०वी०वाई	कृषि यंत्र/रु० 22000.00/कृषि यंत्र	0.22	0.22	0.00	0.44
योग			0.545	0.545	0.325	1.415
महायोग			29.853	25.373	18.493	73.704
योग (चरण 1 + चरण 2)			54.061	46.031	34.071	134.173

उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स नीति से अंश- 125.023 करोड़

केन्द्रपोषित योजनाओं से अंश- 6.625 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना/जल पम्प, पालीहाउस, स्प्रिंकलर सेट योजना से अंश- 2.525 करोड़

कुल लागत- रु० 134.173 करोड़

(कुल धनराशि- एक सौ चौतीस करोड़ सतरह लाख तीस हजार मात्र)

नोट- मिलेट श्री अन्न पार्क हेतु 37.8577 करोड़ प्रति पार्क की धनराशि संभावित है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी जायेगी।

परिशिष्ट-IV

प्रपत्र

A. खेती हेतु आवेदन पत्र

1. कृषक/कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/एफ0पी0ओ/एन0आर0एल0एम0 समूह का नाम—
.....
2. पिता/पति का नाम—.....
3. मोबाईल नम्बर—.....
4. ई-मेल—.....
5. पता—.....
6. समूह के अध्यक्ष का नाम (यदि लागू हो तो).....
7. मिलेट्स (मण्डुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना) खेती के अन्तर्गत भूमि—.....
 - i. काश्तकार/काश्तकारों के नाम :
 - ii. क्षेत्रफल (एकड़/हे0 में) :
 - iii. खतौनी खाता संख्या :
 - iv. खसरा संख्या :
8. पट्टे (लीज) पर ली गई भूमि :
- i. काश्तकारों के नाम :
 - ii. लीज अवधि :
 - iii. खतौनी खाता संख्या :
 - iv. खसरा संख्या :
 - v. क्षेत्रफल (एकड़/हे0 में) :
9. बीज बुवाई की अनुमानित तिथि—.....
10. अनुमानित उपज—.....
11. कृषक/समूह का बैंक खाता संख्या—.....(पासबुक की छायाप्रति संलग्न)
12. बैंक आई0एफ0एस0सी कोड—.....
13. बैंक का नाम एवं पता—.....

कृषक/समूह अध्यक्ष
का नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफ

मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकार दी गयी जानकारी सही है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल पर मण्डुवा/झंगोरा (सॉवा)/रामदाना/कौणी/चीना फसल की मिलेट्स नीति के अंतर्गत खेती की जायेगी, यदि उक्त सूचनाएं/जानकारियां, असत्य/गलत पायी जाती हैं, तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये तथा मैं उचित विधिक/कानूनी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होऊंगा।

कृषक/समूह अध्यक्ष के हस्ताक्षर:—

कृषक/समूह अध्यक्ष का नाम:—

पता:—

मोबाईल नम्बर:—

E-Mail:—

B. विभिन्न प्रकार के पंजीकरण हेतु Online Applications विकसित किये जायेंगे।

C. Digital Payment Modes यथा: DBT/CBDC/E-RUPI हेतु Utilities विकसित किये जायेंगे।

परिशिष्ट-V

Tentative budget estimates (in lakh Rs)

Particulars	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Total
Non-recurring							
1-Office set-up (Furniture & Fixtures, Computers & Laptop etc)	25.00	5.00	-	-	-	-	30.00
2- Miscellaneous	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	24.00
Subtotal A	30.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	54.00
Recurring							
1- Manpower							
A- Team Lead (1No) @ 125000	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00
B- Sr Project Manager (3 Nos) @ 100000	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	216.00
C- Project Manager (3 Nos) @ 85000	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	30.60	183.60
D- Research Manager (2 Nos) @ 60000	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	86.40
Total Manpower	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	576.00
2- Operational Expenses (Housekeeping, Stationery, Chemicals & Consumables, Software & Licenses)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
3- Travel	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00
4- Consultancy charges (External experts)	25.00	20.00	15.00	-	-	-	60.00
5- Miscellaneous	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00
Subtotal B	141.00	136.00	131.00	116.00	111.00	111.00	746.00
Total	171.00	146.00	136.00	121.00	113.00	113.00	800.00

नोट- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।